

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
---------------------------------	---------------------------------------	--

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल
नापी अपील वाद संख्या 02/2019-2020
मोतीलाल साव वनाम् चन्द्रभूषण सिंह एवं अन्य
आदेश

19/02/2020

आवेदक श्री मोती लाल साव, पिता-स्व० फेकन साव, ग्राम-सतवन, पोस्ट-अईयारा, थाना वो अंचल-करपी, जिला-अरवल ने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचल अधिकारी, करपी के नापी वाद संख्या-11/2019-2020 के नापी प्रतिवेदन दिनांक 25.06.2019 के विरुद्ध नापी अपीलवाद दायर कर विवादित भूमि को पुनः नापी करने हेतु अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
113	1034	03 डी०	उत्तर-चन्द्रभूषण सिंह दक्षिण-रोड़ पूरब-गैरमजरुआ छौर पश्चिम-राम सिहासन साव

मौजा-सतवन, थाना वो अंचल-करपी, जिला-अरवल।

वाद की प्रविष्टि की गई। उत्तरवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी नं० 01 उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि अपीलार्थी की खरीदगी भूमि है जो अवासीय भूमि है जिस पर झोपड़ी निर्मित है।
 - (2) विवादित भूमि की पैमाईश संयुक्त अंचल अमीन अरवल एवं अंचल अमीन सोनभद्र वंशी सूर्यपूर के द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 24.12.2019 को किया गया जिसमें सर्वे अमीन अरवल और अपीलार्थी का निजी अमीन श्री गोपाल शरण सिंह के मौजूदगी में की गई।
 - (3) नापी प्रतिवेदन विधि सम्मत एवं निष्पक्ष है जो उभय पक्षों एवं ग्रामीण जनता के समक्ष विवादग्रस्त भूमि की पैमाईश वैज्ञानिक पद्धति से किया गया जिसमें उत्तरवादी संख्या-01 (चन्द्र भूषण सिंह) के द्वारा गैर कानूनी ढंग से अपीलार्थी के खरीदगी भूमि के उत्तरी अंश में 1.226 डी० जमीन अतिक्रमण किये हुए है।
 - (4) विवादित भूमि की पैमाईश करने में अंचल अमीन अरवल एवं अंचल अमीन सोनभद्र वंशी सूर्यपूर द्वारा नक्शानुसार सर-जमीन पर मुस्तकिल कायम किया गया।
 - (5) उत्तरवादी संख्या-01 (चन्द्र भूषण सिंह) के द्वारा अपीलार्थी के निजी अमीन श्री गोपाल शरण सिंह पर गलत आरोप लगाया गया है। श्री गोपाल शरण सिंह के द्वारा नापी कार्य में सहयोग नहीं किया गया बल्कि नापी प्रतिवेदन की वैधता की जाँच कर रहे थे।
 - (6) विवादित भूमि की नापी वसीका में वर्णित चौहद्दी के अनुसार किया गया है जो विवादित भूमि के पूरब चौहद्दी में नीज अंकित है जो 0.460 डी० जमीन छोड़कर नापी की गई है।
 - (7) उत्तरवादी संख्या-01 पुनः नापी कराना चाहते है यह न्याय संगत नहीं है क्योंकि उत्तरवादी संख्या-01 के खाता संख्या-144, प्लॉट संख्या-930 में अतिक्रमण दिखाया गया है जो अपीलार्थी के भूमि को अतिक्रमण कर अवैध दखल कब्जा किये हुए है।
 - (8) नापी प्रतिवेदन पर उभय पक्षों एवं ग्रामीण जनता तथा प्रतिनियुक्त अंचल अमीन का हस्ताक्षर है जिसे विवादग्रस्त भूमि को बार-बार नापी कराना न्याय संगत नहीं है।
- उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट करने एवं पिलरींग कराने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

उत्तरवादी संख्या-01 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) खाता संख्या-144, प्लॉट संख्या-930, रकबा-54 डी० उत्तरवादी संख्या-01 की खतियानी भूमि है जिसका राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे हैं।
- (2) विवादित भूमि की नापी अंचल अमीन करपी के द्वारा किया गया था। उसने नापी प्रतिवेदन में उल्लेखित किया था कि दो नक्शा है लेकिन संयुक्त अंचल अमीन द्वारा नापी कार्य करते समय दोनों नक्शा का मिलान नहीं किया गया।
- (3) अंचल अमीन के द्वारा नापी कार्य करते समय किसी भी दिशा में मुस्तकिल कायम नहीं किया गया। नापी कार्य गाँव के अमीन जो अपीलार्थी के निजी अमीन के सहयोग से अंचल अमीन सोनभद्र वंशी सूर्यपूर द्वारा किया गया। अंचल अमीन अरवल श्री रवि कुमार सिन्हा नापी कार्य के समय स्थल पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने समय 03.00 बजे स्थल पर उपस्थित हुए। उन्होंने कोई पैमाईश नहीं किया।
- (4) अपीलार्थी के निजी अमीन श्री गोपाल शरण सिंह के साथ उत्तरवादी संख्या-01 के पुरानी विवाद है जो कि श्री गोपाल शरण सिंह के करपी थाना कांड संख्या-131/2001 सरकार बनाम श्री गोपाल शरण सिंह एवं अन्य में गवाही दिया था जिसको लेकर उत्तरवादी संख्या-01 को तंग-तवाह कराना चाहते हैं।
- (5) अंचल अमीन करपी के द्वारा विवादित भूमि की नापी कराया गया था जिसमें नापी कर चिन्हित कराया जा चुका है।
- (6) अंचल अमीन द्वारा नापी प्रतिवेदन में यह उल्लेखित नहीं किया है कि अपीलार्थी का कुल रकबा कितना है और कितना बचता है जबकि 0.460 छोड़कर नापी की गई है।
- (7) अंचल अमीन के संयुक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि 1.774 डी० पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है शेष भूमि 1.226 डी० विवादित भूमि के उत्तरी अंश भूमि उत्तरवादी संख्या-01 (चन्द्र भूषण सिंह) द्वारा परति मकान के सहन (पुराना खपडैल मिटी) के सारे जमीन पर दखल कब्जा पाया है। इससे स्पष्ट होती है कि अतिक्रमण भूमि में मकान बना हुआ है जो सिविल कोर्ट का मामला है।
- (8) अंचल अमीन के संयुक्त नापी प्रतिवेदन में यह नहीं उल्लेखित किया गया है कि गैरमजरूआ भूमि कितना है।
- (9) अंचल अमीन के संयुक्त नापी प्रतिवेदन अपीलार्थी के मेल में आकर प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
- (10) अपीलार्थी की भूमि उत्तरवादी संख्या-01 के बने मकान में अतिक्रमण पाया गया है तो बने हुए मकान को हटाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है बने हुए मकान का अतिक्रमण हटाने एवं दखल कब्जा दिलाने का अधिकार सिविल न्यायालय का है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलवाद को खारिज किया जाय।

अपीलार्थी एवं उत्तरवादी संख्या-01 को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा विवादित भूमि खरीदगी बताया है जबकि विवादित भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। केवल अंचल अमीन करपी का नापी प्रतिवेदन ही उपलब्ध कराया है।

विवादित भूमि की नापी न्यायालय के द्वारा अंचल अमीन अरवल श्री रवि कुमार सिन्हा एवं अंचल अमीन सोनभद्र वंशी सूर्यपूर श्री जयराम प्रसाद से कराई गई। अंचल अमीन द्वारा संयुक्त नापी प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अमीन द्वारा संयुक्त नापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि केवाला संख्या-10051 दिनांक 05.07.1976 के अनुसार

आवेदक का वादग्रस्त भूमि 03 डी० चौहदी-उत्तर-जगदीश महतो, दक्षिण-छौर, पूरब-शिवदत्त महतो के मकान, पश्चिम-नीज दर्ज है। वादग्रस्त भूमि प्लॉट संख्या-1034 में पूर्वी अंश भू-भाग रकवा-0.460 डी० छोड़कर शेष रकवा-03 डी० का उत्तरी भूजा 36 फीट 03 ईच, दक्षिणी भूजा-36 फीट 03 ईच, पूर्वी भूजा-36 फीट एवं पश्चिम भूजा-36 फीट होता है जिसे पैमाईश कर चिन्हित की गई। परन्तु आवेदक का सरजमीन पर उत्तरी भूजा-34 फीट, दक्षिणी भूजा-36 फीट 03 ईच, पूर्वी भूजा-22 फीट एवं पश्चिमी भूजा-22 फीट है। इस प्रकार आवेदक द्वारा सरजमीन पर प्लॉट संख्या-1034 में दाखिल काबिज भूमि-772.75 वर्गफीट अर्थात् रकवा-01.774 डी० है शेष अंश भूमि रकवा-01.226 डी० वादग्रस्त प्लॉट संख्या-1034 का उत्तरी अंश भूमि द्वितीय पक्ष श्री चन्द्रभूषण सिंह द्वारा परती/मकानमय सहन (पुराना खपडैल मिटी) के रूप में दखल कायम है। इसको लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि अपीलार्थी को किस प्रकार प्राप्त है, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि अंचल अमीन द्वारा संयुक्त नापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विवादित भूमि अपीलार्थी ने केवाला के माध्यम से 03 डी० खरीदगी भूमि है जिसमें उत्तरी अंश-1.226 डी० भूमि उत्तरवादी श्री चन्द्रभूषण सिंह द्वारा परती/मकानमय सहन (पुराना खपडैल मिटी) के रूप में दखल कब्जा कायम है।

उल्लेखनीय है कि अंचलाधिकारी द्वारा कराये गये सीमांकन में दो तरह के नक्शे का उल्लेख पाया गया है। नक्शा विवाद भी इस न्यायालय के अधिकारिता के बाहर है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-1091/2013 महेश्वर मंडल एवं अन्य एवं राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.07.2018 को पारित न्यायदेश एवं राजस्व विभागीय पत्रांक 876 (8)/रा० दिनांक 27.11.2018 से प्राप्त निदेश के आलोक में इस वाद के विषय वस्तु प्रश्नगत भूमि रैयति भूमि है जिसमें टाईटिल एवं अधिकार से संशलिस्ट प्रश्न भी निहित है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-1091/2013 महेश्वर मंडल एवं अन्य वनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 31.07.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में दखल कब्जा दिलाना एवं बने मकान को हटाने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः इस अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित्र एवं संशोधित

54/19/02/2020

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

54/19/02/2020

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

